राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक पः 10(3)राज-6/2001/15 जयपुर, दिनांकः- 17-4-13

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

-:परिपत्रः-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न0 1132/2011@SLP(C)No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 में चरागाह भूमियों/जोहड़-पायतन (Catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियो में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा (4 हैक्टर) तक चरागाह भूमि का आंवटन जिला कलेक्टर राजकीय विभागों को जनहितार्थ के लिये करने में सक्षम है।

विभागीय परिपत्र क्रमांक 10(3)राज-6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आंवटन जिला कलेक्टर राजकीय विभागों को केवल राजकीय प्रयोजन के लिये आवंटन कर सकता है व चरागाह भूमि का वर्गीकरण नियमानुसार करने पर जिला कलेक्टर उस गाँव में अनाधिवासित कृषि योग्य सरकारी भूमि यदि उपलब्ध है तो उसके बराबर क्षेत्र चरागाह भूमि के रूप में पृथक रख सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. वि0सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. संभागीय आयुक्तगण (समस्त), राजस्थान।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. विशिष्ठ शासन सचिव/सयुंक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव